GCMS-2023/19

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

मोहनलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़

बनाम

मंजूर खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़

किस्म मुकदमा:–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 **प्रकरण सं.– 19/2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02.02.2022	यह अपील अधिवक्ता अपीलांट श्री भागीरथ बिश्नोई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के इंतकाल संख्या 424 दिनांक 21.01.2023 के विरूद्ध पेश की है। अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपील अनुमति पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चक 6 एमसी की जमाबंदी संवंत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 39/29 का पत्थर न. 57/47 मु.न. 87 का किला न. 1, 9, 13 ता 18, 23/1 ता 25/1 में 2.7070 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि काशीराम आदि के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसका रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में जैर अपील इंतकाल एक ही दिन समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए दर्ज कर दिया गया। जबकि बेयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को है। जबकि उक्त जैर अपील इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत किया है। उक्त रकबा अपीलांट के पिता द्वारा मूल खातेदारान से दिनांक 18.09.1991 को जरिये इकरारनामा खरीद किया हुआ है। जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जैरकार है। मौका पर अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट ने उक्त इंतकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी रकबा अपने नाम से दर्ज करवा लिया है। अब जमाबंदी के आधार रेस्पोडेंट संख्या 01 उक्त रकबा को खुर्द बुर्द करने रहन बैय आदि द्वारा हस्तांतरित करने पर ऊतारू है तथा अपीलांट के कब्जा काश्त में घुसने की फिराक में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील के निर्णय तक जैर अपील आदेश इंतकाल संख्या 424 दिनांक 21.01.2023 की कियान्विती स्थिगित रखी जाकर जैर अपील भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं अपीलांट के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी ना करने बाबत रेस्पोडेंट संख्या 01 को पाबंद किया जावे। बहस पर मनन किया तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.01.2023 को जैर अपील इंतकाल दर्ज किया उसी दिन ही गिरदावर हल्का द्वारा जांच कर ली गई एवं उसी दिन ही तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा इंतकाल स्वीकृत कर दिया गया। एक दिन में समस्त कार्यवाही पूरा करना संदेहास्प्रद प्रतीत होता है। अतः अपीलांट द्वारा अपील मीमों तथा स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टतया प्रकरण अपीलांटगण के पक्ष में पाये जाने व अपीलांटगण के हितों को होनें वाली अपूरणीय क्षति को रोकने हेतु रेस्पोडेंटगण को पाबंद किया जाता है वे आगामी तारीख पेशी तक जैर अपील भूमि चक चक 6 एमसी की जमाबंदी संवंत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 39/29 का पत्थर न. 57/47 मु.न. 87 का किला न. 1, 9, 13 ता 18, 23/1 ता 25/1 में 2.7070 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे। रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन/नोटिस तलब किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट 3 दिवस में रजिस्टर्ड ऐडी सम्मन/नोटिस पेश करे। 3 दिवस में रजिस्टर्ड ऐडी सम्मन/नोटिस पेश नहीं करने पर न्यायालय आगामी निर्णय लेने में अग्रसर होगा। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.02.2023 को पेश हो। (अरविन्द कुमार जाखड) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़	
23-2-23	बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब दौरा/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 6-4-23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.30 11:48:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12-8-24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21-8-2024 को पेश हो।
21-8-24	बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ~~ADM साहब भ्रमण/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है।~~ पत्रावली दिनांक 28-8-24 को पेश हो।
28-8-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पत्रांक LR/निग/2024/5847/गंगानगर/10-10-24 दिनांक 14-8-2024 से उक्त पत्रावली तलब की गई है। उक्त की पालना में पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उभयपक्ष को सूचित किया जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.30 11:48:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner